न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
012/2023(रा.प्रा.प.) (GCMS 2023/175)	**10.07.2023**	**26.08.2025**

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. मदनलाल पिता गोपाल लाल जाति धाकड आयु वयस्क निवासी मैलाना तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. श्रीमती अंगुरबाला पत्नी मदनलाल जाति धाकड आयु वयस्क निवासी मैलाना तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :– भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता) प्रार्थी
दीपक शर्मा अप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत नियम 14 (04) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी भू–आवंटन कमेटी निम्बाहेडा बमिसल संख्या 518/2021 दिनांक 25.11.2021

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी तहसीलदार निम्बाहेडा ने एक प्रार्थना–पत्र राज्य सरकार की और से राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि–प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(04) के अन्तर्गत खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि विपक्षी को मौजा चोलनी तहसील निम्बाहेडा की आराजी संख्या 197 रकबा 1.08 हैक्टेयर किस्म भूमि बीड भूमि के संबंध में भू–आवंटन विधि, नियम एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। अप्रार्थीगण का उक्त आवंटित आराजीयात पर आज दिनांक तक कब्जा काश्त नहीं रहा है। विपक्षी का कब्जा नहीं होते हुए भूमि आवंटन करने में भूल की थी, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है, अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। दिनांक 29.08.2023 को विपक्षीगण की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के पत्रांक/राजस्व/2023/1087 दिनांक 28.08.2023 से मूल अभिलेख पत्रावली प्राप्त हुई है जो कि पत्रावली के साथ हम किता होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 27.03.2024 को अप्रार्थीगण की और से प्रार्थना–पत्र बाबत् प्रारम्भिक आपत्ति का पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 21.01.2025 को अप्रार्थीगण की और से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया जो कि शामिल पत्रालवी होकर रिकार्ड पर है। प्रकरण में न्यायालय आदेश दिनांक 11.03.2025 से अप्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र बाबत् प्रारम्भिक आपत्ति सारहीन एवं बलहीन होने से खारीज किया गया। प्रकरण में उभयपक्षकारान की सहमति से स्थगन प्रार्थना–पत्र पर कार्यवाही स्थगित की जाकर प्रकरण में बहस मूल पत्रावली उभयपक्षकारान को सुना गया।

सर्वप्रथम विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण को मौजा चोलनी तहसील निम्बाहेडा की आराजी संख्या 197 रकबा 1.08 हैक्टेयर किस्म भूमि बीड भूमि के संबंध में भू–आवंटन विधि, नियम एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्त योग्य हैं। अप्रार्थीगण का उक्त आवंटित आराजीयात पर आज दिनांक तक कब्जा काश्त नहीं रहा है। अप्रार्थीगण के आवंटन कर दी जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं। विपक्षीगण किसी भी स्थिति में आवंटन के पात्र नहीं हैं।

इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि भू–आवंटन कमेटी द्वारा विपक्षी को आवंटन नियमों के अधीन किया गया है, जो किसी भी प्रकार से निरस्त नहीं किया जा सकता है, उक्त प्रकरण में भू–आवंटन में किसी प्रकार की धोखेबाजी व गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है तथा आवंटन विधि अनुसार किया गया है। प्रार्थी तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा स्वयं आवंटन का पात्र माना जाकर आवंटन कमेटी में सदस्य के रूप में आवंटन की अनुशंषा की गई है। प्रार्थी तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा कब्जे नहीं होने का गलत तथ्यों को आधार बनाकर आवेदन पेश किया है। विपक्षीगण आवंटन की पूरी पात्रता रखते हैं।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 में सरकार द्वारा भूमिहीन कृषको को अभियान अन्तर्गत ही भूमि आवंटन के आदेश थे और उस अनुसार भू–आवंटन सलाहकार समिति की पूर्ण बैठक में आवंटन का आदेश पारित किया गया हैं जो किसी भी प्रकार से निरस्त किये जाने योग्य नहीं हैं।

आवंटन कमेटी द्वारा विधि अनुसार प्रक्रिया अपनाकर विपक्षीगण का आवेदन लेकर मौके की रिपोर्ट पटवार हल्का तलब की गयी तथा आवंटन कमेटी की राय लेकर विपक्षीगण भूमिहीन कृषक होने से भूमि आवंटित की गयी हैं।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(04) के तहत आवंटन निरस्त होने के जो आधार कानून में दिए गए है कि आवंटन कपटपूर्वक हो, दुर्व्यपदेशन से हो या नियम विरूद्ध हो या आवंटी ने शर्तो की पालना नहीं की हो तभी आवंटन निरस्त किया जा सकता है। आवंटी को आवंटन होने के बाद विधिवत् कब्जा सिपुर्द किया गया है, जो रेकार्ड पर है। आवंटी ने किसी भी तरह आवंटन शर्तो को भंग नहीं किया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा गुमानसिंह बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू व अन्य **RRD 1998** पेज संख्या 445 पर प्रतिपादित किया गया है कि कोई भी राजकीय भूमि यदि किसी अतिक्रमी के कब्जे में हो तो उसे राजस्थान काश्तकारी अधीनियम 1955 की धारा 5(36) एवं आवंटन नियमों के अन्तर्गत **Unoccupied land available for allotment** माना गया है, और यदि कोई नियम 20 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के यहां नियमन के लिए आवदेन न करे तो किसी अन्य भूमिहीन को किये गये आवंटन को निरस्त कराने का अधिकार नहीं है।

विपक्षीगण को किया गया आवंटन पूर्णतः विधि अनुसार व नियमों के अनुसार किया गया है। आवंटन निरस्त किये जाने का कोई आधार नहीं है। अंत में प्रार्थना की गई कि विपक्षीगण का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मय हर्जे–खर्चे खारिज फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRD 1998** पेज संख्या **445**, **RRT 2006-07** एसयूपी पेज संख्या **122**, **RRT 2018** पेज संख्या **299**, **RRT 2012(1)** पेज संख्या **652** व **RBJ 2005(12)** पेज संख्या **113** का अवलोकन कराया।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि विपक्षीगण सद्भावी कृषक नहीं है तथा न ही भूमिहीन है अतः आवंटन निरस्त योग्य है। इस प्रकार विधि के प्रतिकुल भूमि आवंटित की है। ग्रामवासियान चोलनी को न तो आवंटन की सूचना दी गई न उनको सुनाया गया। आवंटित भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई और ना ही उक्त आराजीयात के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। बिना जांच–पडताल के उक्त बिलानाम आराजीयात का विपक्षी को आवंटन आदेश पारित कर दिया है जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में प्रार्थना की गई कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण का आवंटन निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करें। इसी ईश्तदुआ से साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस का मनन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 101 एवं राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का

आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 में कृषि योग्य भूमि के आवंटन की व्यवस्था की गई है कि :–

101. Allotment of land for agricultural purposes – (1)Save as otherwise provided elsewhere by this Act, lands for agricultural purposes shall be allotted by such authority and in such manner as may be prescribed by rules made by the State Government in this behalf.
(2) All allotment of land under this section shall be subject to the payment of rent fixed at such rates as may be fixed according to custom or by usage or any law on the subject.
(3) XXX delted XXX]
(4) If there be more than one person requiring the same land, the allotment shall be made in the following order –

(i) to co-sharer of the holding if it forms part of a compact block or is irrigated fromthe same source, perference amongst such co-sharers being given to one having land less than the area prescribed by rules made under the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955);
(ii) to persons residing in the village in which land be situated, preference amongst such persons being given to persons having no land or less than the area prescribed by the said rules;
(iii) by drawing lots:]

Provided that the area so taken together with the area held by him does not exceed the area prescribed by the said rules.
14. Condition of Allotment. –
(4) The Collector shall have the power to cancel any allotment made by a Sub-Divisional Office [or a Tehsildar under the rules repealed by rule 21 of the rules] either suo-moto or on the application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation or has been made against rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment:
Provided that no such order to the prejudice of any person shall be passed without giving such person an opportunity of being heard.

अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर ही अंकित हैं अप्रार्थी संख्या 2 के हस्ताक्षर/अंगूठा अंकित नहीं है। अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवंटन आदेश के कॉलम संख्या 3 के उप–कॉलम 3 में आवंटिती द्वारा भूमि के अनाधिकृत अधिभोग की समयावधि 03 वर्ष अंकित की गई है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजात रिपोर्ट पटवारी इत्यादि नहीं है, जिससे इस तथ्य की पुष्टि की जा सकती है कि आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा रहा हो। **इसके साथ ही प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों के समर्थन में श्री गोपाल लाल बंजारा, तत्कालीन तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपना अखण्डित शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त तथ्यों के प्रति–उत्तर में अप्रार्थी पक्ष द्वारा काउन्टर शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।** इससे न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रतिवेदित होता है कि उक्त आराजीयात पर आवंटी का कब्जा नहीं है।

अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अधिसूचना जारी होने का तथ्य उठाया एवं इस संबंध में दस्तावेज का अवलोकन कराया गया है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की मूल अभिलेख पत्रावली पर

उक्त अधिसूचना एवं अधिसूचना के प्रसारण के संबंध में कोई भी युक्ति–युक्त दस्तावेजात उपलब्ध नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि भूमि आवंटन किये जाने हेतु राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 5 व 6 की समुचित पालना की गई हैं। नियमानुसार आवंटन नियम 6 के अन्तर्गत नियम 5 में अनाधिकृत सरकारी भूमियों, सिंचित एवं असिंचित दोनों की प्रपत्र 1 में तैयार सूची का अपवर्जन तथा आरक्षण किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर कोई भी युक्ति–युक्त दस्तावेजात उपलब्ध नहीं है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 7 के तहत आवंटन के लिये आवेदन–पत्र आमन्त्रित करने की उद्घोषणा जो कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 61 के प्रावधित रीति से प्ररूप–2 में पन्द्रह दिवसीय कालावधि हेतु जारी किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित है एवं उक्त राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियमों में आज्ञात्मक प्रावधान है जिनकी समुचित पालना किया जाना आवश्यक हैं, किन्तु इस संबंध में किसी भी प्रकार से कोई भी समुचित दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिससे उक्त आवंटन की पूर्ण प्रक्रिया दूषित होना प्रकट होता है। इस प्रकार हस्तगत आवंटन विधि अनुसार प्रावधित पूर्ण प्रक्रिया से नहीं किया जाना न्यायालय के समक्ष प्रमाणित पाया जाता है।

न्यायिक दृष्टांत **RRT 2006-07** एसयूपी पेज संख्या **122**, से माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि कपट अथवा दुर्व्यपदेशन के द्वारा आवंटन प्राप्त करने का आरोप नहीं–सलाहकार समिति की अनुशंसा पर आवंटन किया गया, निर्णय की आधिकारिता में त्रुटि नहीं है व यथावत् रखा, जबकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी तहसीलदार द्वारा अपने आवेदन में आवंटित भूमि पर विपक्षी द्वारा आज दिनांक तक कब्जा–काश्त नहीं होना अवगत कराया गया हैं, जो कि आवंटन किये जाने की प्रमुख शर्त है, ऐसी स्थिति में उक्त न्यायिक दृष्टांत अप्रार्थीगण के तर्को के बल प्रदान नहीं करता है।

न्यायिक दृष्टांत **RRT 2018** पेज संख्या **299** द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि खातेदारी अधिकार प्रदत्त होने के बाद आवंटन निरस्त करना न्यायोचित नहीं हैं, जबकि हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है वर्तमान में अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुये है एवं अप्रार्थीगण वर्तमान में गैर–खातेदार दर्ज रेकार्ड हैं, ऐसी स्थिति में उक्त न्यायिक दृष्टांत अप्रार्थीगण के तर्को के बल प्रदान नहीं करता है।

न्यायिक दृष्टांत **RRT 2012(1)** पेज संख्या **652** द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि अतिक्रमी के कब्जे में भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध मानी जायेगी। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत में **RRD 1998** पेज संख्या **445** में प्रतिपादित किया गया है कि कोई भी राजकीय

भूमि यदि किसी अतिक्रमी के कब्जे में हो तो उसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(36) एवं आवंटन नियमों के अन्तर्गत **(Unoccupied land available for allotment)** के लिये उपलब्ध है, ऐसी स्थिति में उक्त न्यायिक दृष्टांत अप्रार्थीगण के तर्को के बल प्रदान नहीं करता हैं।

न्यायिक दृष्टांत **RBJ 2005(12)** पेज संख्या **113** द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि खातेदारी अधिकार प्रदत्त होने के बाद तकनीकी आधार पर आवंटन निरस्त करना न्यायोचित नहीं है, जबकि हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया हैं वर्तमान में अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुये है एवं अप्रार्थीगण वर्तमान में गैर–खातेदार दर्ज रेकार्ड है। इसके साथ ही प्रार्थी तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा अखण्डित शपथ–पत्र के माध्यम से स्वयं इस तथ्य को अवगत कराया गया हैं कि अप्रार्थीगण का आवंटित भूमि पर कब्जा–काश्त नहीं होकर अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जा रही है। जिससे उक्त न्यायिक दृष्टांत के तथ्य एवं स्थिति हस्तगत प्रकरण से मेल नहीं खाते है ऐसी स्थिति में उक्त न्यायिक दृष्टांत अप्रार्थीगण के तर्को के बल प्रदान नहीं करता हैं।

इसके साथ ही आवंटी को भूमि का कब्जा सिपुर्द किये जाने के संबंध में कोई भी दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। भूमि आवंटन के संबंध में कब्जा सिपुर्दगी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। कब्जा सिपुर्द किये जाने बाबत् पर्चा मौका कब्जा सिपुर्दगी महत्वपूर्ण ठोस दस्तावेजी साक्ष्य है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

इसके साथ ही आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण कब्जा एवं आवंटन शर्तों की पालना के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य अप्रार्थीगण द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे यह प्रमाणित हो सके की विपक्षीगण द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की जाकर आवंटित भूमि पर कब्जा–काश्त है। यह तथ्य ठोस दस्तावेजी साक्ष्य का मोहताज है। केवल मात्र मौखिक कथन किये जाने से यह तथ्य स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, जबकि प्रकरण में प्रार्थीगण तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा मुख्य रूप से अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने का ही तथ्य उठाया गया है।

इसके साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **RRD 1998** पेज संख्या 445 से प्रतिपादित सिद्धांत के संबंध प्रार्थी के आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(04) में प्रावधित किया गया है कि जिला कलक्टर को स्वयं संज्ञान से भी किसी आवंटन की जांच/सुनवाई करने की क्षेत्राधिकारिता प्राप्त माननीय न्यायालय द्वारा **(Unoccupied land available for allotment)** का आवंटन हेतु उपलब्ध होने का तथ्य स्वीकार योग्य है एवं शेष तथ्य उक्त प्रकरण में पूर्ण रूपेण चस्पांगी नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी का भी आवंटित भूमि पर कब्जा न्यायालय के समक्ष प्रमाणित नहीं पाया गया है।

हस्तगत प्रकरण में विपक्षीगण को भूमि का आवंटन विधिवत नहीं किया जाना प्रमाणित पाया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति की राय एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा

पारित आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 518/2021 दिनांक 25.11.2021 में त्रुटि कारित किया जाना प्रमाणित पाया जाता है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 14(04) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है, एवं अप्रार्थी का आवंटन एवं उक्त आवंटन आदेश की पालना में मौजा चोलनी पटवार हल्का सरसी तहसील निम्बाहेडा का नामान्तरकरण संख्या 125 दिनांक 24.05.2022 को निरस्त जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 14(04) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 को स्वीकार किया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति की राय एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा पारित आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 518/2021 दिनांक 25.11.2021 का आवंटन एवं उक्त आवंटन आदेश की पालना में मौजा चोलनी पटवार हल्का सरसी तहसील निम्बाहेडा का नामान्तरकरण संख्या 125 दिनांक 24.05.2022 निरस्त किया जाता हैं, एवं तहसीलदार निम्बाहेडा को निर्देशित किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 518/2021 दिनांक 25.11.2021 से आवंटित भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रेकार्ड में अंकन करे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा का अभिलेख मय निर्णय की प्रमाणित प्रति के लौटाया जावें। तहसीलदार निम्बाहेडा को निर्णय की प्रमाणित प्रमाणित प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **26.08.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़